



राजभवन

राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड,
संख्या— / जी0एस0 / शिक्षा / A4-109 / 2017,
देहरादून : दिनांक : 8 सितम्बर, 2017

शुद्धि-पत्र

इस सचिवालय के आदेश/पत्रांक-377/जी0एस0/शिक्षा/A4-109/2017, दिनांक 04-05-2017 द्वारा ज्ञानी इन्दर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, नियर-मालसी डियर पार्क, देहरादून में संचालित कतिपय पाठ्यक्रमों में सत्र 2016-17 एवं 2017-18 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारित की गयी थी, जिसमें टंकण त्रुटि के कारण पाठ्यक्रम के कॉलम-2 में 'एम0फार्मा0'-(1. फार्मास्यूटिक्स, 2. क्वालिटी एसुरेन्श) के स्थान पर 'एम0टैक0'-(1. फार्मास्यूटिक्स, 2. क्वालिटी एसुरेन्श) टंकित हो गया है।

2- अतएव सम्बद्धता विस्तारण विषयक उक्त आदेश/पत्रांक दिनांक 04-05-2017 के प्रस्तर-1 की तालिका के कॉलम-2 में अंकित पाठ्यक्रम 'एम0टैक0'-(1. फार्मास्यूटिक्स, 2. क्वालिटी एसुरेन्श) के स्थान पर 'एम0फार्मा0'-(1. फार्मास्यूटिक्स, 2. क्वालिटी एसुरेन्श) पढ़ा जाय।

3- उक्त आदेश/पत्रांक दिनांक 04-05-2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा आदेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)

सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या— 2226 (1) / जी0एस0 / शिक्षा / A-109 / 2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, सुद्धोवाला, देहरादून।
3. निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, 07वां तल चन्द्रलोक बिल्डिंग, नई दिल्ली।
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, ज्ञानी इन्दर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मसूरी डायवर्जन रोड़, नियर-मालसी डियर पार्क, पो0-सिनोला, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 26-05-2017 के क्रम में।

✓ 6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)

उप सचिव श्री राज्यपाल।